न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 39/2025

वादी :-

उगादेवी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हालमुकाम मकान नं. 14-3-332/ई/बी ज्ञानबाग कॉलोनी घोड़े की कब्र हैदराबाद, तेलंगाना

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. ओमप्रकाश पुत्र केवलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल मुकाम मकान नं. 15-1-388 फीलखाना हैदराबाद, तैलगांना
2. प्रेमलता पुत्री केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. महेश कुमार पुत्र केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हालमुकाम मकान नं. 15-1-388 फीलखाना हैदराबाद तैलंगाना
4. गायत्री जोशी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालमुकाम मकान नं. 15-3-135/3 चाकनावाडी हजारी भवन गोशा महल के पास हैदराबाद तैलंगाना
5. रामजीवनीदेवी पत्नी केवलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज.हालमुकाम मकान नं. 15-1-388 फीलखाना हैदराबाद तैलंगाना
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा
7. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय बिलाडा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :-वादी - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.1 से 5 - श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 6 व 7- सरकारी पैरोकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 08/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 696/2 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नंबर 696/3 रकबा 0.3641 हैक्टयर कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.5016 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसके खाता सं. 15 जमाबंदी संवत् 2073-76 के अनुसार है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है उपरोक्त भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से संबोधित किया जायेगा। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जसवंतपुरा हल्का पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 325 रकबा 0.6715 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबंदी संवत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी संयुक्त खातेदारी की होने से तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त होने के कारण तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करवाये जाने हेतु बार-बार निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के निवेदन को मानने से इंकार करने पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि ए व बी का जरिये मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने की वादी अधिकारी है। इस हेतु यह वाद बावत बंटवाडा हेतु श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण बिना किसी जायज आवश्यकता के वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी को बैचान करने हेतु अनजबी क्रेतागण को दिनांक 26.12.2024 को मौका दिखाने हेतु आने पर तथा वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी बैचान करने से प्रतिवादीगण को मना करने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की बात को ना मानकर उल्टा वादी को एलानिया धमकिया दी कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 अपने हिस्से की भूमि को पडौस दर्शाते हुए बिना वादी की सहमति के बैचान करके रहेगे। इसलिए इन्हे वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी का बैचान किये जाने से रोकने हेतु प्रतिवादी सं. 1 से 20 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पेश है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा नंबर 696/2 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नंबर 696/3 रकबा 0.3641 हैक्टयर कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.5016 हैक्टयर में स्थित वादीया के 1/6 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे व प्रतिवादी सं. 6 को यह आदेशित किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अमल दरामद करावें। ग्राम जसवन्तपुरा पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के सरहद में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि बी खसरा नंबर 325 रकबा 0.6715 हैक्टयर में स्थित वादीया के 1/6 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे व प्रतिवादी सं. 6 को यह आदेशित किया जावे कि राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अमल दरामद करावे। प्रतिवादी सं. 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में वादी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करे तथा बिना बंटवाडा कराये किसी अन्य को पडौस दर्शाते हुए बैचान नहीं करें। अन्य अनुतोष जो वादी पाने का अधिकारी हो वादी के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 19.11.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित खसरा नंबर 696/2 रकबा 0.1375 हैक्टयर, खसरा नंबर 696/3 रकबा 0.3641 हैक्टयर कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.5016 हैक्टयर व राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा हल्का पिचियाक के स्थित खसरा नंबर 325 रकबा 0.6715 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का नियमानुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा

1	उमादेवी पुत्री केवलचन्द जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार	696/2	0.0836
	कुल योग	1	0.0836
2	ओमप्रकाश पुत्र केवलचन्द 836/4180 हि., महेश कुमार पुत्र केवलचन्द 3344/4180 हि. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	696/2 696/3	0.0539 0.3641
	कुल योग	2	0.4180

नोट :- ग्राम बंध जसवन्तसागर के खसरा नंबर 325 रकबा 0.6715 हैक्टयर किस्म कच्छार अव्वल होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम/धारा 16 व 18 के तहत गैर-खातेदारी श्रेणी मे आई हुई है इस भूमि पर प्रतिबंध के कारण खातेदारी अधिकार नहीं होने के कारण प्राथमिक डिक्री के अन्तर्गत विभाजन प्रस्ताव किया जाना संभव नहीं है।

उक्त सारणी के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीया व प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.01.2025 के अनुसार वादीया के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.01.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीया
उमादेवी

बनाम

प्रतिवादीगण
अमरचन्द वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 39/2025

निर्णय दिनांक :- 08/04/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री भगवती प्रसाद पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 6 व 7 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.01.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा